भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(हिंदी कक्ष)

<u>बैठक की कार्यसूची</u>

(अप्रैल-जून 2017) तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार है:-

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा।

1. निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।

1	डॉ. आर.पी. शर्मा, सहआचार्य	सिस्टम से कनेक्ट न होने के कारण
2	श्री पिताम्बर बेहेरा, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	कार्यालयी दौरे पर – कोलकाता
3	श्री द्वैपायन आश, अनुभाग अधिकारी	सिस्टम से कनेक्ट न होने के कारण
4	श्री चिरंजी लाल, अनुभाग अधिकारी	

2. निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल 2017 को आयोजित बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था। संबंधित अनुभागों द्वारा कार्यवृत्त के बिंदुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना निम्नप्रकार है :–

क्रं.सं.	कार्यवृत बिंदु	अनुवर्ती कार्रवाई
1	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार फाइलों पर 75 प्रतिशत हिंदी टिप्पणियों के लक्ष्य तथा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में ई-मेल सहित पत्राचार के 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा किए जाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	इस संबंध में विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट (संलग्न) बैठक के दौरान प्रस्तुत की जा सकती है।
2	सभी विभागों/अनुभागों में नई फाइलों के शीर्षक पूर्ण रूप से द्विभाषी व सभी रजिस्टरों में यथा संभव हिंदी में प्रविष्टियां की जानी चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	विभागों/अनुभागों में फाइलों के शीर्षक आंशिक रूप से द्विभाषी लिखे जाने शेष हैं तथा रजिस्टरों में प्रविष्टियां अधिकाधिक हिंदी में की गई हैं।
3	तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी विभागों से निर्धारित अवधि में अर्थात तिमाही समाप्ति के अगले माह के प्रथम सप्ताह तक अद्यतन सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	इस संबंध में सूचना बैठक के दौरान दी जा सकती है।
4	सभी अनुभागों/विभागों में किए गए हिंदी पत्राचार सहित सभी गतिविधियों का लेखा-जोखा रखते हुए आवश्यक रूप से गार्ड फाईल तैयार की जानी चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	समिति सदस्यों से बैठक के दौरान अपने विभागों से संबंधित गार्ड फाइल अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

5	अध्यक्ष महोदय द्वारा कोलकाता सेंटर पर हिंदी के कार्यान्वयन के लिए संविदात्मक आधार पर हिंदी अनुवादक का पद सृजित करने का निर्देश दिया गया। **- स्थापना विभाग**	स्थापना विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार संविदात्मक आधार पर हिंदी अनुवादक की नियुक्ति के संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।
6	संस्थान से हिंदी अधिकारी द्वारा कोलकाता परिसर पर राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए निदेशक महोदय की ओर से पत्र जारी किया जाए। **- हिंदी कक्ष**	इस संबंध निदेशक महोदय की ओर से यह पत्र जारी किया गया तथा कोलकाता सेंटर द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (संलग्न) प्रस्तुत की जा सकती है।
7	संस्थान की हिंदी गृह-पत्रिका 'यज्ञ' अंक-10, वर्ष 2017 का निर्धारित अवधि में प्रकाशन किया जाना चाहिए। **- हिंदी कक्ष**	हिंदी गृह-पत्रिका 'यज्ञ' का निर्धारित अवधि में प्रकाशन किया गया।
8	संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर खर्च वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित मानदंड अर्थात 50 प्रतिशत हिंदी विज्ञापनों पर किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	इस संबंध में संस्थान के सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

बैठक की कार्यसूची के प्रस्तावित बिंदु

1. **राष्ट्रपति जी के आदेशों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई**

   a) हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत घटने न पाए बल्कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

   b) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

   c) सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए तथा इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।

   d) केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।

   e) किसी भी स्थिति में अंग्रेजी पुस्तकों पर होने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जाए।

   f) मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभव नहीं बरता जाना चाहिए।

2. सभी विभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 में दर्शाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना।
3. जुलाई-सितम्बर 2017 तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(हिंदी कक्ष)

14 जुलाई 2017 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई 2017 को 04.00 बजे (अपराह्न)) कुलसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

क्र.सं.	समिति सदस्य
1	कुलसचिव एवं अध्यक्ष, वि.रा.भा.का. समिति
2	श्री गौरव गुलाटी, उप-कुलसचिव
3	डॉ. आर.पी.शर्मा, सहआचार्य - कोलकाता सेंटर
4	श्री एस. बालासुब्रमणियन, सहा.प्रणाली प्रबंधक - प्रतिनिधि
5	श्री संजय वर्मा, संयुक्त कॉरपोरेट नियोजन सलाहकार
6	श्री भुवन चन्द्र, वरि. प्रशासनिक अधिकारी
7	श्री देशराज, वरि. प्रशासनिक अधिकारी
8	श्रीमती दीपा पी.जी. वित्त अधिकारी
9	श्रीमती नलिनी मेशराम, प्रशासनिक अधिकारी
10	श्री बी. प्रसन्नाकुमार, प्रशासनिक अधिकारी
11	श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी
12	श्री रामसिंह मीना, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
13	श्रीमती कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी
14	श्रीमती सुमिता मारवाह, अनुभाग अधिकारी
15	श्रीमती ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
16	श्री प्रदीप खन्ना, अनुभाग अधिकारी
17	श्री द्वैपायन आश, अनुभाग अधिकारी
18	श्री चिरंजी लाल, अनुभाग अधिकारी
19	श्रीमती मोहिनी मदान, अनुभाग अधिकारी
20	श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
21	श्री करूण दुग्गल, अनुभाग अधिकारी
22	श्री जितेन्द्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
23	श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी
24	सुश्री तनुश्री, वरि.सहायक आईपीडी - प्रतिनिधि
25	श्री राजेन्द्र प्रसाद, हिंदी अधिकारी – सदस्य सचिव

अप्रैल-जून 2017 तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।

5	डॉ. नितिन सेठ, सहआचार्य	- प्राप्त सूचना के अनुसार - अवकाश पर
6	श्री बिमल कुमार पंडा	- अपरिहार्य कारणों से प्रतिनिधि के रूप में श्री एस.बालासुब्रमणियन ने बैठक में भाग लिया
7	श्री पिताम्बर बेहेरा	- प्राप्त सूचना के अनुसार - अवकाश पर
8	अनिल कुमार मीना, अनुभाग अधिकारी	

अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बिंदु निम्न प्रकार हैं: -

1 सभी विभाग वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 में दर्शाए गए पत्राचार व टिप्पण सहित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करें।

- सभी अनुभाग/विभाग

2 सभी विभागों/अनुभागों में सभी फाइलों के शीर्षक पूर्ण रूप से द्विभाषी व सभी रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियां की जानी चाहिएं।

- सभी अनुभाग/विभाग

3 तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी विभागों से निर्धारित अवधि में अर्थात तिमाही समाप्ति के अगले माह की 05 तारीख तक अद्यतन सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि रिपोर्ट यथाशीघ्र समेकित कर तैयार की जा सके और उच्चतर कार्यालयों को समय पर भिजवाई जा सके।

- सभी अनुभाग/विभाग

4 सभी अनुभागों/विभागों में किए गए हिंदी पत्राचार सहित सभी गतिविधियों का लेखा-जोखा रखते हुए आवश्यक रूप से गार्ड फाईल तैयार की जाए ताकि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय रिकार्ड अद्यतन रहे, साथ ही निरीक्षण प्रश्नावली में भी सही-सही आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकें।

- सभी अनुभाग/विभाग

5 संस्थान के कोलकाता केंद्र में राजभाषा हिंदी के नियमों एवं आदेशों के अनुपालन के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर हिंदी अनुवादक की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए, कोलकाता केंद्र हिंदी अनुवादक के पद के सृजन एवं नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे।

- कोलकाता केंद/स्थापना विभाग

6 जुलाई-सितम्बर 2017 तिमाही के दौरान होने वाली हिंदी कार्यशाला में कोलकाता केंद्र को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि हिंदी कार्यशाला का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो।

- हिंदी कक्ष

7 हिंदी में विज्ञापन जारी करने की स्थिति ठीक नहीं पाई गई है, अत: हिंदी में भी विज्ञापन जारी किए जाएं।

सभी अनुभाग/विभाग

8 राजभाषा के प्रचार-प्रसार के अंतर्गत कंप्यूटर पर हिंदी टाईपिंग का प्रतिशत बढ़ाने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी गुगल हिंदी वासय टाईपिंग का लाभ लेने के लिए विभाग-वार हैड फोन जारी कराने का अनुरोध कर सकते हैं।

- हिंदी कक्ष

9 **माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों पर अनुपालन हेतु चर्चा किए गए बिंदुः -**

a) संस्थान के सभी विभागों में अप्रैल-जून 2017 तिमाही के दौरान दर्शाए गए हिंदी पत्राचार का प्रतिशत घटने न पाए बल्कि इसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए।

- सभी अनुभाग/विभाग

b) प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

- सभी अनुभाग/विभाग/हिंदी कक्ष

c) नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।

- स्थापना अनुभाग

d) किसी भी स्थिति में अंग्रेजी पुस्तकों पर होने वाली राशि का कों पर खर्चप्रतिशत हिंदी पुस्त 50 संबंधी आदेश का संस्थान में अनुपालन किया जाता है, जिसका भविष्य में भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- **हिंदी कक्ष**

e) अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियोंकर्मचारियों को समुचित वेतनमान/ एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिएं, और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

स्थापना अनुभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।